न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 132 और वर्ष 2013

गोपाललाल पुत्र धन्नालाल जागिड जाति खाती ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर,
व भवंरलाल, कपिल, बजरंग, रामलाल पिता रूडाराम मु. पांची देवी बेवा रूडाराम,
सुशीला पत्नी बद्री, मोहित पुत्र बद्री, कविता, टीना पुत्रियां बद्री ना.बा.संरक्षिका
माता सुशीला पत्नी बद्री जाति खाती सा.देह., नन्दा पुत्र हुक्मा, रमेशचन्द
मदनलाल पिता लाला जाति खाती सा.देह., कालू पांचू पोखर चौथू पि. बक्सा,
मन्ना देवी पत्नी कल्याण, श्योजीराम पुत्र कल्याण, अन्जु पुत्री कल्याण जाति बेरवा सा.देह.
जगदीश पुत्र सुखदेव जाति जाट सा.देह जयसिंहपुरा बास नेवटा, तहसील सांगानेर

.... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्द अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

<u>आदेश</u>

दिनांक 21/5/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हेक्ट.	स्वामित्व
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा	14/2	0.51	गोपाललाल पुत्र धन्नालाल जागिड जाति खाती ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर,
		15	0.15	
		38	0.39	
		12/2	0.16	भवंरलाल, कपिल, बजरंग, रामलाल पिता रूडाराम मु. पांची देवी बेवा रूडाराम, हि. 5/6 हि.ब. सुशीला पत्नी बद्री, मोहित पुत्र बद्री, कविता, टीना पुत्रियां बद्री ना.बा. संरक्षिका माता सुशीला पत्नी बद्री हि.ब.हि. 1/6 जाति खाती सा.देह.,
		13	0.61	
		14/1	0.02	
		37	0.40	
		12/1	0.43	नन्दा पुत्र हुक्मा हि. 1/2 रमेशचन्द मदनलाल पिता लाला हि. 1/2 जाति खाती सा.देह.,
		35	0.19	
		36	0.44	
		16	0.24	कालू पांचू पोखर चौथू पि. बक्सा हि. 4/5, मन्ना देवी पत्नी कल्याण हि. 3/35, श्योजीराम पुत्र कल्याण हि. 3/35, अन्जु पुत्री कल्याण हि. 1/35 जाति बेरवा सा.देह.
		17	2.31	
		18	0.14	
		19	0.06	
		39	0.42	
		40	1.41	
		41	0.01	
		42	0.08	
		43	0.09	
		किता 19	8.06 हेक्ट.	
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम नेवटा	409	5.70 हेक्ट. में से 1.94	जगदीश पुत्र सुखदेव जाति जाट सा. जयसिंहपुरा बास नेवटा।
		किता 1	1.94 हैक्ट.	
		कुल किता 20	कुल रकबा 10.00 हैक्ट.	

2. आवेदक ने अवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेखा, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 14/2 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 15 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 38 रकबा 0.39 हैक्ट. ख.नं. 12/2 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 13 रकबा 0.61 हैक्ट. खा.नं. 14/1 रकबा 0.02 हैक्ट. ख.नं. 37 रकबा 0.40 हैक्ट. ख.नं. 12/1 रकबा 0.43 हैक्ट. ख.नं. 35 रकबा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 36 रकबा 0.44 हैक्ट. ख.नं. 16 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 17 रकबा 2.31 हैक्ट. ख.नं. 18 रकबा 0.14 हैक्ट. ख.नं. 19 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 39 रकबा 0.42 हैक्ट. ख.नं. 40 रकबा 1.41 हैक्ट. ख.नं. 41 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 42 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 43 रकबा 0.09 हैक्ट. किता 19 रकबा 8.06 हैक्ट. एवं ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 409 रकबा 5.70 हैक्ट. में से 1.94 हैक्ट. दोनों ग्रामों के कुल किता 20 कुल रकबा 10.00 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21/5/13 को पारित किया गया।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–11/2013 2167 दिनांक 21/5/13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1 सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।